

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

रामादेवी पत्नी महेन्द्र धाकड़, उम्र 52 साल, जाति धाकड़, निवासी गोमती कॉलोनी,
हिण्डौन, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज.) ————— वादिया

बनाम


लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.) — प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा,
इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं० 101/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री पी०एल०
गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण दावा बाबत्
घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4
बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है वाके
कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.02.2026 को यह डिकी
जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 101/2025

तारीख रजू:-27.05.2025

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामादेवी पत्नी महेन्द्र धाकड़, उम्र 52 साल, जाति धाकड़, निवासी गोमती कॉलोनी, हिण्डौन, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज.) ————— वादिया

बनाम

लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.) — प्रतिवादी

दावा बाबत-घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित:-1. श्री पी०एल० गोयल एडवोकेट वादीया

निर्णय

दिनांक :-24.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती विरुद्ध प्रतिवादी पेश कर वाद पत्र के मद नं० 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 2477 रकवा 04 बीघा 07 बिस्वा स्थित करबा हिण्डौन साबिक में सिवायचक सरकारी भूमि रही है, लेकिन उक्त अराजी पर हिण्डौन निवासियों की प्रारम्भ से ही आबादी बनाकर रिहायश रही है। उक्त भूमि का सिवायचक सरकारी भूमि होना खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2000 से 2019 से बखूबी साबित है।

वाद पत्र के मद नं० 2 में दर्ज किया है कि जमाबंदी संवत् 2008 से 2011 में उक्त साबिक खसरा नम्बर 2477 सरकारी दीगर भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है, इसी प्रकार संवत् 2021 से 2024 के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में भी उक्त खसरा नम्बर सिवायचक भूमि दर्ज रहा है और उसकी किस्म



गैरमुमकिन कवर दर्ज की गई है, जबकि मौके पर उक्त भूमि में कभी कोई कवर नहीं रही, बल्कि उक्त भूमि में लोगों की प्रारम्भ से ही मकानियत व पाटौरपौश होकर रिहायश रही है। इस प्रकार उक्त भूमि साबिक रिकार्ड के अनुरूप प्रारम्भ से ही सरकारी / दीगर सरकारी भूमि सिवायचक रही है।

वाद पत्र के मद नं० 3 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 2477 की खसरा गिरदावरी संवत् 2008 से 2011 में उक्त भूमि में मकान बन जाने का स्पष्ट अंकन है तथा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017 में उक्त भूमि सिवायचक अंकित होकर गैरमुमकिन आबादी दर्ज है तथा संवत् 2018 से 2019 की खसरा गिरदावरी में भी उक्त भूमि सिवायचक गैरमुमकिन आबादी दर्ज है तथा उक्त खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि में मूलचन्द कारीगर, गोर्धनदास, नथुआं, हरीकिशन, हरीवल्लभ आदि का कब्जा पाटौरपौश स्पष्ट रूप से अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2020-21 व 2022 लगायत 2025 में भी उक्त सम्पूर्ण भूमि में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2026 में भी उक्त भूमि में गैर मुमकिन आबादी व रास्ता व 04 बिस्वा भूमि में बगीची दर्ज है जो गिरदावरी संवत् 2026 से 2029 से मलीभांति स्पष्ट है तथा इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2037 में भी उक्त भूमि सिवायचक गैरमुमकिन आबादी दर्ज है व खसरा गिरदावरी संवत् 2046 में भी उक्त भूमि में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि में कभी कोई गैरमुमकिन कवर / कब्रिस्तान नहीं रहा, बल्कि मौके पर उक्त भूमि में लोगों की रिहायश होकर आबादी रही है, मगर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से उक्त सरकारी भूमि को गैर मुमकिन कवर दर्ज कर दिया, जिसका कि कोई विधिक आधार नहीं था तथा साबिक रिकार्ड से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही सरकारी सिवायचक भूमि रही है।

वाद पत्र के मद नं० 4 में दर्ज किया है कि दौराने सैटलमेंट साबिक खसरा नम्बर 2477 रकवा 04 बीघा 07 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 6007 रकवा 1.09 है कायम किया, मगर दौराने सैटलमेंट, सैटलमेंट कर्मचारियों ने सिवायचक / दीगर सरकारी भूमि को विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय

के आदेश से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त अराजी को गल तरीके से वक्फ सम्पत्तियों (वक्फ विभाग) की दर्ज कर दिया, जबकि उक्त सम्पत्ति त हाल खसरा नम्बर 6007 रकवा 1.09 है कस्बा हिण्डौन कभी भी वक्फ सम्पत्ति नहीं रही और ना ही कभी वक्फ की सम्पत्ति घोषित हुई, ऐसी स्थिति में सैटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों को उक्त अराजी को वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने का कानूनन कोई हकहकूक हासिल नहीं था। इस प्रकार सैटलमेंट कर्मचारियों—अधिकारियों द्वारा की गई उक्त कार्यवाही खिलाफ कानून होने से निरस्त की जाकर दुरुस्त किए जाने योग्य है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि उक्त सम्पत्ति कभी भी वक्फ सम्पत्ति नहीं रही, क्योंकि राजस्थान सरकार को वक्फ कमिश्नर वक्फ एक्ट के तहत वक्फ सम्पत्तियों की सूची धारा 5 (1) वक्फ एक्ट के तहत भेजी, जिनको भी राजस्थान सरकार के द्वारा उक्त सम्पत्तियों के बावत् 23 सितम्बर, 1965 को गजट नोटिफिकेशन में तहसील हिण्डौन की वक्फ की सम्पत्तियों की सूची जारी की और उक्त सूची में साबिक खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन कहीं पर भी अंकित नहीं है, इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन कभी भी वक्फ की सम्पत्ति नहीं रहा, अगर वास्तव में उक्त अराजी वक्फ सम्पत्ति रही होती तो उक्त नोटिफिकेशन में उसका वर्णन अवश्य रूप से किया जाता, जबकि उक्त सम्पत्ति प्रारम्भ से ही सिवायचक सरकारी भूमि रही है, जिसमें हिण्डौन वासियों की आबादी बसी हुई थी, मगर सैटलमेंट कर्मचारियों ने विधि विरुद्ध रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खिलाफ कानून बिना किसी क्षेत्राधिकार के उक्त अराजी का हाल खसरा नम्बर 6007 कायम करते समय उसको विधि विरुद्ध रूप से वक्फ सम्पत्ति दर्ज कर दिया, जो कि उक्त नोटिफिकेशन के विपरीत व खिलाफ कानून होने से दुरुस्त किये जाने योग्य है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2477 साबिक पर मूलचन्द आदि के कब्जे के सम्बन्ध में मूलचन्द की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस काबि ज रहे तथा मूलचन्द के वारिस दिनेशचन्द को उक्त भूमि के सम्बन्ध में भूमि खसरा नम्बर साबिक 2477 को सरकारी भूमि मानते हुए

और उस पर दिनेश का कब्जा मानकर नायब तहसीलदार हिण्डौन के यहा अ से धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जारी हुआ और उक्त प्रकरण का मुकदमा नम्बर 90/86 कायम होकर उक्त सरकारी भूमि पर दिनेश का अतिक्रमण मानते हुए उसके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित हुए, जिसकी अपील दिनेशचन्द द्वारा न्यायालय ए.डी.एम. साहब करौली के यहां उनवानी दिनेशचन्द बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 24.03.1987 को होकर उक्त भूमि में अपीलान्ट की पैतक रिहायश होने और उसके पिता को नगर पालिका हिण्डौन द्वारा ग्राण्ट रेन्ट पर खाम मकान बनाने के लिए 541.2/3 गज भूमि मकान निर्माण के लिए दी गई और ज़रूम नक्शा खाम मकान तामिल की इजाजत दी गई। उक्त स्थितियों की वास्तविकता हेतु दौराने अपील मौके का नायब तहसीलदार के साथ स्वयं ए.डी.एम. साहब द्वारा निरीक्षण किया गया और उक्त भूमि पर अपीलान्ट दिनेशचन्द के पुक्ता निर्माणात मौके पर पाये गये तथा उक्त भूमि के रकवे 04 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण पर आबादी बसावट पायी गई और बसावट के काम में आना पाया गया और दूर-दूर तक मकान व निर्माण पाये गये और उक्त आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को निरस्त किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि में कभी भी गैरमुमकिन कवर नहीं रही, बल्कि उक्त भूमि सरकारी सिवायचक होकर नगर पालिका परिक्षेत्र में होने से उसमें लोगों की बसावट होकर पुक्ता निर्माणात हो गये, मगर सैटलमेंट कर्मचारियों ने उक्त भूमि को गलत रूप से वक्फ सम्पत्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दर्ज कर दिया, जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं था, इसलिए उनके द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को दुरुस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं० 7 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 2477 में हरीवल्लभ भट्ट ब्राह्मण ने उक्त भूमि में बने हुए अपने मकान को सुरेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29 नवम्बर, सन् 1976 में विक्रय कर दिया। तत्पश्चात उक्त खरीदशुदा मकानियत

को सुरेन्द्र कुमार द्वारा वादिया को दिनांक 08.06.2016 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र विक्रय कर कब्जा करा दिया, वर्तमान में वादिया उक्त खसरा नम्बर में बने पुक्ता मकान पर काबि ज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है और उसने उक्त भूमि में बने पुक्ता मकान में विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, जिसके बिलों का भुगतान नियमित करती चली आ रही है, उक्त सम्पत्ति से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पत्ति साबिक खसरा नम्बर 2477 जिसका हाल खसरा नम्बर 6007 कस्बा हिण्डौन कायम किया गया, कभी भी वक्फ सम्पत्ति नहीं रही और ना ही कभी उक्त भूमि में कोई गैरमुमकिन कवर रहीं, बल्कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही सरकारी सिवायचक भूमि रही है, जिसमें लोगों के आवासीय परिसर व रिहायश हो रही है, मगर सैटलमेंट कर्मचारियों ने उक्त भूमि को गलत व विधि विरुद्ध रूप से वक्फ सम्पत्ति दर्ज कर दिया, जिसका उन्हें कानूनन कोई हकहकूक हासिल नहीं था और सैटलमेंट द्वारा की गई उक्त आवैधानिक कार्यवाही को कानूनन दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं० 8 में दर्ज किया है कि वादिया की उक्त आराजी में स्थित पुक्ता मकानियत जिसे कि उसने साबिक मालिक सुरेन्द्र आर्य से जरिये पंजीकृत वयनामा वर्ष 2016 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है पर बैंक ऋण आदि लेने के लिए उक्त दस्तावेज को मॉर्गे ज रखने पर उक्त पुक्ता निर्माणीयत के हाल खसरा नम्बर 6007 में स्थित होने के कारण सरकारी बैंक द्वारा उक्त पंजीकृत वयनामे के आधार पर भूमि के वक्फ सम्पत्ति में दर्ज होने से ऋण देने से इन्कार किया गया है, जिस पर वादिया द्वारा कानूनी सलाह मशविराह कर उक्त समस्त दस्तावेज की नकल प्राप्त कर सैटलमेंट द्वारा की गई उक्त आवैधानिक कार्यवाही को प्रतिवादी से दिनांक 21.05.2025 को दुरुस्त करने और साबिक रिकार्ड के अनुरूप हाल खसरा नम्बर 6007 को सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज करने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया और न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिए उक्त दावा पेश करना आवश्यक हुआ।



वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि विनायदवा दिनांक 21.05.2025 को वादिया द्वारा प्रतिवादी से साबिक रिकार्ड के अनुरूप हाल खसरा नम्बर 6007 को सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज कर दुरुस्त कराने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा बमुकाम हिण्डौनसिटी इन्कार करने के कारण अन्दर हदूद आरजी अदालत वाला पैदा हुई, दवा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि दावा हाजा में प्रतिवादी राजस्व अधिकारी हैं, जिसे दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा.दी. का दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है। अगर वादिया द्वारा उक्त नोटिस दो माह का प्रतिवादी को दिया जाता है तो उसमें समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में वादिया का दवा दायरी का मकसद ही फौत हो जावेगा। प्रकरण अर्जेन्ट प्रकृति का है, इसलिए वादिया को धारा 80(2) जा.दी. के तहत उक्त नोटिस से छूट प्रदान करते हुए दवा दायरी की अनुमति दी जावे। धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 136 के तहत विलमुक्ता न्यायशुल्क 04 रुपये पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि पैदा होने विनायदवा सकूमत फरीकेन व अराजी मुतदाविया श्रीऋमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीऋमान को उक्त दावे को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 13 अ में दर्ज किया है कि दावा वादिया बखिलाफ प्रतिवादी बावत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर साबिक 2477 रकवा 04 बीघा 07 बिस्वा सरकारी सिवायचक स्थित कस्बा हिण्डौन जिसका हाल खसरा नम्बर 6007 रकवा 1.09 है स्थित कस्बा हिण्डौन कायम किया है, को वक्फ सम्पत्ति से हजफ फरमाया जाकर उसे साबिक रिकार्ड के अनुरूप सरकारी सिवायचक दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती फरमायी जावे।



वाद पत्र के मद नं0 13 ब में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद वादी साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि नकल जमाबन्दी सं 2000 लगायत 2019 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म कबरीस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिस पर काफी पुरानी आबादी बसी हुई है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि नकल जमाबन्दी सं 2021 लगायत 2024 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिस पर काफी पुरानी आबादी बसी हुई है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से हैं कि नकल खसरा गिरदावरी सं0 2008 लगायत 2011 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में मकान बन गये हैं दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 लगायत 2015 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।



नकल खसरा गिरदावरी सं० 2018 लगायत 2021 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा विशेष विवरण के कॉलम में मूलचन्द कारीगर कब्जा पाटौर 05 बिस्वा पर, गोस्धनदास कब्जा पाटौर 02 बिस्वा, नथुवा कब्जा पाटौर 04 बिस्वा, हरिकिशन धाकड कब्जा पाटौर 03 बिस्वा, हरिबल्लभ कब्जा बाडा 02 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं० 2022 लगायत 2025 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा सं 2024 में गै०मु० कब्रिस्तान एवं आबादी दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं 2026 लगायत 2029 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी एवं 04 बिस्वा में बगीची दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं० 2034 लगायत 2036 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है वाके कस्बा हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल खतौनी बन्दोवस्त भू-प्रबन्ध विभाग के अनुसार हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी राजकीय भूमि (लगान वाईज व) निरन्तर दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं० 2049 लगायत 2053 के अनुसार खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में राजकीय भूमि एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं० 2063 लगायत 2066 के अनुसार खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में वक्फ विभाग एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० कवर/कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं० 2067 लगायत 2070 के अनुसार खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियों (वक्फ विभाग) एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं० 2055-58, 2059-2062, 2063-2066, 2067-2070, 2071-74, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.09.1965 -संख्या डब्लू बी रिकार्ड/65 :- वक्फ कमिश्नर राजस्थान ने वक्फ एक्ट (केन्द्रीय एक्ट 29) 1955 की धारा 4 (3) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सर्व रिपोर्ट (राजस्थान में स्थित कुल वक्फ सम्पत्तियों की सूची) प्रेषित की है, जिसकी प्रतिलिपि राजस्थान सरकार ने वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट की धारा 5(1) के अन्तर्गत भेजी गई और अब वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट की धारा 5 (2) व राजस्थान वक्फ नियम के तहत प्रस्तुत इस वक्फ रिपोर्ट को राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित करता है। उक्त गजट नोटिफिकेशन में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है अर्थात् साबिक खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति नहीं है।

पटवारी हल्का हिण्डौन की रिपोर्ट के आधार पर आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कस्बा हिण्डौन के दौरान सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० बना है। उक्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान के उपयोग में नहीं ली गई तथा उक्त भूमि में मुस्लिम समाज की कोई कवर बनी हुई नहीं है। उक्त भूमि पर मौके पर लगभग 60-70 वर्ष पूर्व से आबादी के उपयोग में आ रही है तथा वर्तमान में उक्त भूमि में सघन आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि सिवायचक सरकारी भूमि है। सेटिलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकार्ड में भी उक्त खसरा नम्बर वक्फ सम्पत्तियों में दर्ज नहीं है बल्कि जिम्नन नं०1 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड था। किन्तु सेटिलमेन्ट के बाद के रिकार्ड में उक्त भूमि पहले वक्फ विभाग के नाम खातेदारी के कॉलम में दर्ज की उसके बाद वक्फ सम्पत्तियों (वक्फ विभाग) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती चली आ रही है। मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात कभी भी वक्फ विभाग के कब्जे या मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के उपयोग में नहीं रही है। बल्कि उक्त भूमि सिवायचक भूमि थी, जिस पर वर्तमान में सघन आबादी बसी हुई है।

नकल माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश करौली मिसल नं० 133/87 उनवानी दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द जांगिड (ब्राह्मण) निवासी हिण्डौन-अपीलान्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन रेस्पोजेन्ट, अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार हिण्डौन 24.03.87 उनवानी मिसल सरकार बनाम दिनेश चन्द मिसल नं० 90/1986 में दिनांक 29.04.1987 को निर्णय पारित करते हुए निर्णय में अंकित किया है कि पत्रावली प्रस्तुत। अपीलान्ट दिनेश चन्द एवं रेस्पोजेन्ट की ओर से नायबतहसीलदार हिण्डौन मुकाम कैम्प हिण्डौन उपस्थित। दिनांक 28.04.1987 को बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अपील अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 90/86 में पारित आदेश 24.03.1987 की अप्रसन्नता में प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 2477 रकबा 70 गुणा 70 + 60 फिट वाके हिण्डौन पर अतिक्रमण करने एवं कथित आराजी को समतल करके नीव खोदकर



निर्माण कार्य शुरू करने के फलस्वरूप आराजी से बेदखल करते हुए पैनल्टी राशि 5012/-रूपया से दण्डित किया है।

अपीलान्ट ने अपने तर्क में प्रस्तुत किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने से पूर्व अपीलान्ट को सुना ही नहीं और न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव नोटिस एवं प्रस्तुत सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। अपीलान्ट ने अपने पक्ष में निम्न दस्तावेज सबूत प्रस्तुत किये हैं।

1. नकल निर्णय दिनांक 21.09.1949 मिसल नं0 350/1949 न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता मूलचन्द को 541 गज भूमि ग्राइन्ट रेन्ट पर खाम मकान के लिए दी गई।
2. नकल निर्णय दिनांक 01.10.1958 मिसल नं0 220/1958 कार्यालय नगर पालिका हिण्डौन जिसके अनुसार व मंजूर नक्शा खाम मकान तामीर की इजाजत दी है।
3. नकल निर्णय दिनांक 24.08.1967 धारा 91 एलआरएक्ट में न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन द्वारा कार्यवाही निरस्त की है।-मकान पुराना पाटौर पोश होना माना है।
4. स्वीकृति भवन निर्माण दिनांक 19.05.1986 जिसके अनुसार नगर पालिका द्वारा पुख्ता मकान बनाने की स्वीकृति दी है।
5. स्वीकृति भवन निर्माण नवीनीकरण स्वीकृति दिनांक 18.06.1986 द्वारा नगरपालिका हिण्डौन।
6. रसीद नजराना भवन निर्माण रसीद सं 1855 दिनांक 29.08.1982 राशि 1068/- एवं रसीद संख्या 902 दिनांक 17.06.1986 राशि 6082/-

उपरोक्त प्रस्तुत प्रमाणों के साथ ही अपीलान्ट ने दर्शाया है कि कथित भू-खण्ड पर 40 वर्ष पूर्व से ही कब्जा है। उसके पिता मूलचन्द के जीवनकाल के समय से ही एवं उसके समय से ही खाम निर्माण मकान

२५

का कार्य हो रहा है तथा विवादग्रस्त भू-खण्ड पर 40 वर्ष से कोई खेती नहीं हुई है बल्कि आबादी हो रही है तथा कथित भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होना बताया है।

हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर ध्यान देते हुए अपीलान्ट के तर्कों को सुना तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया व मेरे द्वारा दिनांक 28.04.1987 को विवादित भू-खण्ड का मौका देखा गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथित प्रमाण 01 लगायत 6 का मेरे द्वारा अध्यन किया तो जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 2477 रकबा 70 गुणा 70 + 60 फिट वाके कस्बा हिण्डौन (भायलापुरा) पर अपीलान्ट के पिता मूलचन्द का मुताबिक निर्णय तहसीलदार हिण्डौन 21.09.1949 के अनुसार 1949 से पूर्व का कब्जा है तथा अपीलान्ट अपने पिता के जीवनकाल से ही बतौर स्वीकृति नगरपालिका दिनांक 01.10.1958 से रहवास, उपयोग, उपभोग में लेता आ रहा है तथा उसने 01.10.1958 की स्वीकृति नगरपालिका हिण्डौन के अनुशरण में खाम निर्माण मकान किया है।

इसी भू-खण्ड को लेकर तहसीलदार हिण्डौन ने धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत 1967 में भी कार्यवाही अपीलान्ट के पिता मूलचन्द के विरुद्ध चालू की थी। जिसमें तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 24.06.1967 को निर्णय पारित करते हुए गैरसायल मूलचन्द का दिनांक 21.09.1949 को तामीर मकान एवं इजाजत नगरपालिका एवं अन्य सबूतों के आधार पर आराजी 2477 में यह नम्बर भायलापुरा हिण्डौन में बताते हुए 1949 से कब्जा माना है तथा गैरसायल मूलचन्द, अपीलान्ट के पिता का कब्जा एवं उपभोग, उपयोग मानते हुए कार्यवाही धारा 91 एलआरएक्ट गैरसायल मूलचन्द के विरुद्ध चालू की गई कार्यवाही को निरस्त किया गया है तथा अपीलार्थी को नगरपालिका हिण्डौन ने कथित भू-खण्ड में पुख्ता निर्माण की स्वीकृति दिनांक 19.05.86 एवं नवीनीकरण भवन स्वीकृति दिनांक 18.06.1986 को देते हुए नक्शा निर्माण नगरपालिका ने पास किया

७२

है। जिसके फलस्वरूप नगरपालिका हिण्डौन ने जरिये रसीद सं01855 दिनांक 29.09.1982 राशि 1088/- एवं रसीद संख्या 902 दिनांक 17.06.1986 राशि 6082/- नजराना राशि अपीलार्थी से वसूल की है। स्वीकृति निर्माण के साथ ही निर्माण हेतु नक्शा नगरपालिका ने एप्रूव्ड किया है।

उपरोक्त के साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.1987 को पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा उसके जबाब, नोटिस एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों सबूतों का अवलोकन नहीं किया और न ही उनका जिक्र अपने निर्णय में किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक प्रिन्टेड प्रोफोर्मा पर अपना निर्णय अपीलान्ट को आराजी मुतजिका भू-खण्ड से बेदखल करते हुए एवं पैनल्टी राशि कायम करते हुए निर्णय पारित किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस एवं अपने साथ प्रस्तुत दस्तावेज सबूतों जो पत्रावली में शामिल हैं। उन्हें पढते हुए पारित निर्णय पर लाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जबाब नोटिस एवं सबूत दस्तावेजों को नजर अन्दाज किया है। जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 24.03.1987 त्रुटिपूर्ण विदित होता है।

दिनांक 28.04.1987 को कैम्प कोर्ट हिण्डौन में बहस समाप्त के पश्चात मुतजिका भू-खण्ड का मौका हमराह नायबतहसीलदार हिण्डौन एवं अन्य उपस्थिति के साथ देखा गया। यह भू-खण्ड चारदीवारी के अन्दर स्थित है तथा अन्दर दो पाटौर पोश मकान बने हुए जाहिर हैं तथा उसमें एक कुई पुरानी निर्मित है एवं वर्तमान में इस भू-खण्ड में पश्चिम साईड में नवनिर्माण मकान का कार्य चालू है। जिसके बाबत अपीलान्ट ने बताया है कि उसे नगरपालिका से पक्का निर्माण करने की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसका उल्लेख उपरोक्त विवेचन में किया जा चुका है।



खसरा नम्बर 2477 जिसका रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर सिवायचक जाहिर है। यह रकबा मौके पर पूर्ण रूपेण आबादी बसावट में काम आ चुका है तथा इस भू-खण्ड के चारों तरफ दूर-दूर तक बसावट मकान निर्माण हो चुके हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि मुतजिका भू-खण्ड के आस पास बसावट किस तरह हुई है या कोई यह कथित एरिया बसावट हेतु पूर्व में ही कनवर्ट हो चुका है अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूपेण सर्वे एवं जाँच करनी चाहिए ताकि अपीलान्ट अपना हक आशय कानूनी विधि के अन्तर्गत प्राप्त करने की शेष प्रतिक्रिया को अपनाता। जहाँ तक प्रश्न लैण्ड कन्वर्सन आबादी के बाबत है यह स्पष्ट नहीं है कि आया बिना कन्वर्सन के नगरपालिका ने अपीलान्ट को निर्माण स्वीकृति किस प्रकार से दी है या तो नगरपालिका स्कीम में भूमि पूर्व में ही कनवर्ट हो चुकी है अथवा नगरपालिका स्कीम में बसावट स्कीम पास हो चुकी है। इस बिन्दू पर अधिनस्थ न्यायालय को नगरपालिका से सम्पर्क करके जाँच करनी चाहिए थी। जैसा की अपीलान्ट ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने जबाब में अधिनस्थ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय के दौरान प्रस्तुत कथन एवं सबूत अपीलान्ट को नजरअन्दाज किया है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 24.03.1987 निरस्त किया जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है किस्म गै०मु० कवर / कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन सन् 1949 से पूर्व से ही आबादी के उपयोग में आ रहा है अर्थात् उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग के उपयोग उपभोग

की कमी नहीं रही है बल्कि सिवायचक सरकारी भूमि रही है। जिससे वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी के कॉलम में सिवायचक थी किन्तु सेटिलमेन्ट के बाद सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों / राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियों (वक्फ विभाग) के नाम बिना किसी आदेश से सहवन से दर्ज हो गई है। उक्त भूमि पर सन् 1949 से पूर्व से ही सघन आबादी बसी हुई होने एवं पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती करते हुए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० कस्बा हिण्डौन को सिवायचक दर्ज करने एवं नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

जबावदावा के मद नं०4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं०4 स्वीकार है। जबावदावा के मद नं०1 ता 3 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि उपरोक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर / कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन सन् 1949 से पूर्व से ही आबादी के उपयोग में आ रहा है अर्थात् उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग के उपयोग उपभोग की कमी नहीं रही है बल्कि सिवायचक सरकारी भूमि रही है। जिससे वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी के कॉलम में सिवायचक थी किन्तु सेटिलमेन्ट के बाद सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों / राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम बिना किसी आदेश से सहवन से दर्ज हो गई है। उक्त भूमि पर सन् 1949 से पूर्व से ही सघन आबादी बसी हुई होने एवं पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती करते हुए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० कस्बा हिण्डौन को सिवायचक दर्ज करने एवं नगर

परिषद हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 स्वीकार हैं। इस मद में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जबावदावा के मद नं01 ता4 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 स्वीकार हैं। इस मद में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जबावदावा के मद नं01 ता 4 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं07 इस हद तक स्वीकार है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर / कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन सन् 1949 से पूर्व से ही आबादी के उपयोग में आ रहा है अर्थात् उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग के उपयोग उपभोग की कमी नहीं रही है बल्कि सिवायचक सरकारी भूमि रही है। जिससे वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी के कॉलम में सिवायचक थी किन्तु सेटिलमेन्ट के बाद सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों / राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियों (वक्फ विभाग) के नाम बिना किसी आदेश से सहवन से दर्ज हो गई है। उक्त भूमि पर सन् 1949 से पूर्व से ही सघन आबादी बसी हुई होने एवं पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती करते हुए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है- कस्बा हिण्डौन को सिवायचक दर्ज करने एवं नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं08 अस्वीकार है। दिनांक 21.05.2025 को वादीया के द्वारा सेटिलमेन्ट विभाग की उक्त गलती की दुरुस्ती कराने हेतु प्रतिवादी के पास कोई आवेदन पेश नहीं किया।

जबावदावा के मद नं09,10,11,12 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं09,10,11,12 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 13 के बिन्दू (अ) में चाही गई रिलीफ के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै० मु० कवर / कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन सन् 1949 से पूर्व से ही आबादी के उपयोग में आ रहा है अर्थात् उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग के उपयोग उपमोग की कभी नहीं रही है बल्कि सिवायचक सरकारी भूमि रही है। जिससे वक्फ बोर्ड या वक्फ विभाग का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी के कॉलम में सिवायचक थी किन्तु सेटिलमेन्ट के बाद सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों / राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम बिना किसी आदेश से सहवन से दर्ज हो गई है। उक्त भूमि पर सन् 1949 से पूर्व से ही सघन आबादी बसी हुई होने एवं पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती करते हुए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है कस्बा हिण्डौन को सिवायचक दर्ज करने एवं नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं० 2000-19 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सं० 2008-11 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सं० 2021-24 प्रदर्श-3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4, फोटो प्रति कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर- सूचना, जयपुर सितम्बर 23, सन् 1965 प्रदर्श-5, नकल जमाबन्दी सं० 2055-58 प्रदर्श-6, नकल जमाबन्दी सं० 2059-62 प्रदर्श-8, नकल जमाबन्दी सं० 2063-66 प्रदर्श-9, नकल जमाबन्दी सं० 2067-70 प्रदर्श-7, नकल जमाबन्दी सं० 2071-74 प्रदर्श-10, फोटो प्रति नकल न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश करौली मिसल नं० 133/2007 निर्णय दिनांक 29.04.1987 उनवानी दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द जांगिड (ब्राह्मण) निवासी हिण्डौन



—अपीलान्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन —रेस्पोजेन्ट अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 24.03.1987 उनवानी मिसल सरकार बनाम दिनेश चन्द मिसल नं० 90/86 प्रदर्श-11, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.1976 उनवानी हरीबल्लभ पुत्र पंडित श्री जगनलाल जाति भट्ट निवासी फरगला वाह हाल निवासी नगर हिण्डौन वार्ड नं०4 — विक्रेता बहक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी नगर हिण्डौन— क्रेता प्रदर्श-12, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2018 उनवानी सुरेन्द्र कुमार आर्य पुत्र स्व० श्री मांगीलाल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं० 70-71, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, निकट मानसरोवर, जयपुर राजस्थान— विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती रामादेवी धर्म पत्नि महेन्द्र धाकड जाति धाकड निवासी गोमती कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली— क्रेती द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2008-2011, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2012-2013, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2014-2017, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2018-2019, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2020-2021, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2022-2025, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2026-2029, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2034-2037, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2047, पेश की हैं तथा जुवानी सहादत में वादीया ने स्वयं का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी सबूत में पटवारी हल्का हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2025, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं० 2061-64, नकल खतौनी भू-प्रबन्धक विभाग, नकल खसरा गिरदावरी सं० 2051-53, नकल खसरा गिरदावरी सं० 2049-50, नकल खसरा गिरदावरी सं० 2063-66, नकल खसरा गिरदावरी सं० 2070-73, नकल खसरा गिरदावरी सं० 2071-74, नकल जमाबन्दी सं० 2037-40, नकल जमाबन्दी सं० 2055-58, फोटो प्रति नकल न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश करौली मिसल नं० 133/2007 निर्णय दिनांक 29.04.1987 उनवानी दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द जांगिड (ब्राह्मण) निवासी हिण्डौन



—अपीलान्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन —रेस्पोडेन्ट अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 24.03.1987 उनवानी मिसल सरकार बनाम दिनेश चन्द मिसल नं0 90/86 पेश किये हैं।

वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीया ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीया का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2000-19 प्रदर्श-1 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म कबरीस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2008-11 प्रदर्श-2 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2021-24 प्रदर्श-3 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै0मु0 कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श- 4 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है वाके कस्बा हिण्डौन कायम किया गया है।

फोटो प्रति कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर— सूचना, जयपुर सितम्बर 23, सन् 1965 प्रदर्श-5 के अनुसार कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.09.1965 —संख्या डब्लू बी रिकार्ड/65 :- वक्फ कमिश्नर राजस्थान ने वक्फ एक्ट (केन्द्रीय एक्ट 29) 1955 की धारा 4 (3) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सर्व रिपोर्ट (राजस्थान में स्थित कुल वक्फ

सम्पत्तियों की सूची) प्रेषित की है, जिसकी प्रतिलिपि राजस्थान सरकार ने वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट की धारा 5(1) के अन्तर्गत भेजी गई और अब वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट की धारा 5 (2) व राजस्थान वक्फ नियम के तहत प्रस्तुत इस वक्फ रिपोर्ट को राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित करता है। उक्त गजट नोटिफिकेशन में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है अर्थात् साबिक खसरा नम्बर 2477 कस्बा हिण्डौन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति नहीं है।

नकल जमाबन्दी सं० 2055-58, 2059-62, 2063-66, 2067-70, 2071-74 प्रदर्श-6,7,8,9,10 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश करौली मिसल नं० 133/2007 निर्णय दिनांक 29.04.1987 उनवानी दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द जांगिड (ब्राह्मण) निवासी हिण्डौन -अपीलान्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन -रेस्पोडेन्ट अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 24.03.1987 उनवानी मिसल सरकार बनाम दिनेश चन्द मिसल नं० 90/86 प्रदर्श-11 के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश करौली मिसल नं० 133/87 उनवानी दिनेश चन्द पुत्र मूलचन्द जांगिड (ब्राह्मण) निवासी हिण्डौन-अपीलान्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन रेस्पोडेन्ट, अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार हिण्डौन 24.03.87 उनवानी मिसल सरकार बनाम दिनेश चन्द मिसल नं० 90/1986 में दिनांक 29.04.1987 को निर्णय पारित करते हुए निर्णय में अंकित किया है कि पत्रावली प्रस्तुत। अपीलान्ट दिनेश चन्द एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से नायबतहसीलदार हिण्डौन मुकाम कैम्प हिण्डौन उपस्थित। दिनांक 28.04.1987 को बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अपील अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 90/86 में पारित आदेश 24.03.1987 की अप्रसन्नता में प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 2477 रकबा 70 गुणा 70 + 60 फिट वाके

हिण्डौन पर अतिक्रमण करने एवं कथित आराजी को समतल करके नीव खोदकर निर्माण कार्य शुरू करने के फलस्वरूप आराजी से बेदखल करते हुए पैनल्टी राशि 5012/-रूपया से दण्डित किया है।

अपीलान्ट ने अपने तर्क में प्रस्तुत किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने से पूर्व अपीलान्ट को सुना ही नहीं और न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव नोटिस एवं प्रस्तुत सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। अपीलान्ट ने अपने पक्ष में निम्न दस्तावेज सबूत प्रस्तुत किये हैं।

1. नकल निर्णय दिनांक 21.09.1949 मिसल नं० 350/1949 न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता मूलचन्द को 541 गज भूमि ग्राइन्ट रेन्ट पर खाम मकान के लिए दी गई।
2. नकल निर्णय दिनांक 01.10.1958 मिसल नं० 220/1958 कार्यालय नगर पालिका हिण्डौन जिसके अनुसार व मंजूर नक्शा खाम मकान तामीर की इजाजत दी है।
3. नकल निर्णय दिनांक 24.08.1967 धारा 91 एलआरएक्ट में न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन द्वारा कार्यवाही निरस्त की है। मकान पुराना पाटौर पोश होना माना है।
4. स्वीकृति भवन निर्माण दिनांक 19.05.1986 जिसके अनुसार नगर पालिका द्वारा पुख्ता मकान बनाने की स्वीकृति दी है।
5. स्वीकृति भवन निर्माण नवीनीकरण स्वीकृति दिनांक 18.06.1986 द्वारा नगरपालिका हिण्डौन।
6. रसीद नजराना भवन निर्माण रसीद सं 1855 दिनांक 29.08.1982 राशि 1068/- एवं रसीद संख्या 902 दिनांक 17.06.1986 राशि 6082/-

उपरोक्त प्रस्तुत प्रमाणों के साथ ही अपीलान्ट ने दर्शाया है कि कथित भू-खण्ड पर 40 वर्ष पूर्व से ही कब्जा है। उसके पिता मूलचन्द

के जीवनकाल के समय से ही एवं उसके समय से ही खाम निर्माण मकान का कार्य हो रहा है तथा विवादग्रस्त भू-खण्ड पर 40 वर्ष से कोई खेती नहीं हुई है बल्कि आबादी हो रही है तथा कथित भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होना बताया है।

हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर ध्यान देते हुए अपीलान्ट के तर्कों को सुना तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया व मेरे द्वारा दिनांक 28.04.1987 को विवादित भू-खण्ड का मौका देखा गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथित प्रमाण 01 लगायत 6 का मेरे द्वारा अध्यन किया तो जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 2477 रकबा 70 गुणा 70 + 60 फिट वाके कस्बा हिण्डौन (भायलापुरा) पर अपीलान्ट के पिता मूलचन्द का मुताविक निर्णय तहसीलदार हिण्डौन 21.09.1949 के अनुसार 1949 से पूर्व का कब्जा है तथा अपीलान्ट अपने पिता के जीवनकाल से ही बतौर स्वीकृति नगरपालिका दिनांक 01.10.1958 से रहवास, उपयोग, उपभोग में लेता आ रहा है तथा उसने 01.10.1958 की स्वीकृति नगरपालिका हिण्डौन के अनुशरण में खाम निर्माण मकान किया है।

इसी भू-खण्ड को लेकर तहसीलदार हिण्डौन ने धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत 1967 में भी कार्यवाही अपीलान्ट के पिता मूलचन्द के विरुद्ध चालू की थी। जिसमें तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 24.06.1967 को निर्णय पारित करते हुए गैरसायल मूलचन्द का दिनांक 21.09.1949 को तामीर मकान एवं इजाजत नगरपालिका एवं अन्य सबूतों के आधार पर आराजी 2477 में यह नम्बर भायलापुरा हिण्डौन में बताते हुए 1949 से कब्जा माना है तथा गैरसायल मूलचन्द, अपीलान्ट के पिता का कब्जा एवं उपभोग, उपयोग मानते हुए कार्यवाही धारा 91 एलआरएक्ट गैरसायल मूलचन्द के विरुद्ध चालू की गई कार्यवाही को निरस्त किया गया है तथा अपीलार्थी को नगरपालिका हिण्डौन ने कथित भू-खण्ड में पुख्ता निर्माण की स्वीकृति दिनांक 19.05.86 एवं नवीनीकरण भवन स्वीकृति



दिनांक 18.06.1986 को देते हुए नक्शा निर्माण नगरपालिका ने पास किया है। जिसके फलस्वरूप नगरपालिका हिण्डौन ने जरिये रसीद सं01855 दिनांक 29.09.1982 राशि 1088/- एवं रसीद संख्या 902 दिनांक 17.06.1986 राशि 6082/- नजराना राशि अपीलार्थी से वसूल की है। स्वीकृति निर्माण के साथ ही निर्माण हेतु नक्शा नगरपालिका ने एप्रूव्ड किया है।

उपरोक्त के साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.1987 को पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा उसके जबाब, नोटिस एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों सबूतों का अवलोकन नहीं किया और न ही उनका जिक्र अपने निर्णय में किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक प्रिन्टेड प्रोफोर्मा पर अपना निर्णय अपीलान्ट को आराजी मुतजिका भू-खण्ड से बेदखल करते हुए एवं पैनल्टी राशि कायम करते हुए निर्णय पारित किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस एवं अपने साथ प्रस्तुत दस्तावेज सबूतों जो पत्रावली में शामिल हैं। उन्हें पढते हुए पारित निर्णय पर लाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जबाब नोटिस एवं सबूत दस्तावेजों को नजर अन्दाज किया है। जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 24.03.1987 त्रुटिपूर्ण विदित होता है।

दिनांक 28.04.1987 को कैम्प कोर्ट हिण्डौन में बहस समाप्त के पश्चात मुतजिका भू-खण्ड का मौका हमराह नायबतहसीलदार हिण्डौन एवं अन्य उपस्थिति के साथ देखा गया। यह भू-खण्ड चारदीवारी के अन्दर स्थित है तथा अन्दर दो पाटौर पोश मकान बने हुए जाहिर हैं तथा उसमें एक कुई पुरानी निर्मित है एवं वर्तमान में इस भू-खण्ड में पश्चिम साईड में नवनिर्माण मकान का कार्य चालू है। जिसके बाबत् अपीलान्ट ने बताया है कि उसे नगरपालिका से पक्का निर्माण करने की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसका उल्लेख उपरोक्त विवेचन में किया जा चुका है।



खसरा नम्बर 2477 जिसका रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर सिवायचक जाहिर है। यह रकबा मौके पर पूर्ण रूपेण आबादी बसावट में काम आ चुका है तथा इस भू-खण्ड के चारों तरफ दूर-दूर तक बसावट मकान निर्माण हो चुके हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी जिक नहीं किया है कि मुतजिका भू-खण्ड के आस पास बसावट किस तरह हुई है या कोई यह कथित एरिया बसावट हेतू पूर्व में ही कनवर्ट हो चुका है अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूपेण सर्वे एवं जाँच करनी चाहिए ताकि अपीलान्ट अपना हक आशय कानूनी विधि के अन्तर्गत प्राप्त करने की शेष प्रतिक्रिया को अपनाता। जहाँ तक प्रश्न लैण्ड कन्वर्सन आबादी के बाबत है यह स्पष्ट नहीं है कि आया बिना कन्वर्सन के नगरपालिका ने अपीलान्ट को निर्माण स्वीकृति किस प्रकार से दी है या तो नगरपालिका स्कीम में भूमि पूर्व में ही कनवर्ट हो चुकी है अथवा नगरपालिका स्कीम में बसावट स्कीम पास हो चुकी है। इस बिन्दू पर अधिनस्थ न्यायालय को नगरपालिका से सम्पर्क करके जाँच करनी चाहिए थी। जैसा की अपीलान्ट ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने जबाव में अधिनस्थ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय के दौरान प्रस्तुत कथन एवं सबूत अपीलान्ट को नजरअन्दाज किया है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 24.03.1987 निरस्त किया गया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.1976 उनवानी हरीबल्लभ पुत्र पंडित श्री जगनलाल जाति भट्ट निवासी फरगला वाह हाल निवासी नगर हिण्डौन वार्ड नं०4 - विक्रेता बहक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी नगर हिण्डौन- क्रेता प्रदर्श-12 के अनुसार एक भवन दासेबन्दी, झप्पर पोश बरान्दा मोहल्ला भायलापुरा वार्ड नं०2 करौली

हिण्डौन रोड नगर हिण्डौन में पूर्व देखता स्थित है, जिसके उत्तर को 2 फिट 2 इंच चौड़ा जीना तथा 6 फिट गुणा 6 फिट की दक्षिणी गली में नहारत बनी हुई है। भवन की नाप पूर्व से पश्चिम उत्तर व दक्षिणी की 45 फिट और उत्तर से दक्षिण पूर्व व पश्चिमी की अलावा छप्पर नहारत जीना के हैं, छप्पर जो उत्तरी कोन पर पूर्वी लाइन में पुख्ता दासा पत्थर बना है, उसको नाप 18 फिट गुणा 10 फिट के हैं। उपरोक्त भवन की सीमा इस भांति है कि पूर्व में सड़क करौली हिण्डौन रोड, पश्चिम को मकानियत जैयगोविन्द, उत्तर तरफ को रास्ता मकानियत विक्रेता व जयगोविन्द, वाद को मकान विशनु प्रधान, दक्षिण को गली विक्रेता के पश्चात मकानीयत अलमशूर नागरेन वाली है जो विक्रेता के स्वामित्व स्वत्व का है का विक्रय श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी नगर हिण्डौन— क्रेता के हक में किया गया है तथा विक्रीत भवन/ भू-खण्ड पर क्रेता को कब्जा मौके पर संभलाना भी अंकित किया है। विक्रीत भूमि का नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2016 उनवानी सुरेन्द्र कुमार आर्य पुत्र स्व० श्री मांगीलाल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं० 70-71, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, निकट मानसरोवर, जयपुर राजस्थान— विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती रामादेवी धर्म पत्नि महेन्द्र धाकड जाति धाकड निवासी गोमती कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली— क्रेती द्वितीयपक्ष के अनुसार विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व, स्वत्व, कब्जे, उपयोग, उपभोग की एक मकानियत पुख्ता, पूर्व झांकती दो मंजिली 1485 वर्गफिट नाप की स्थित मौहल्ला भायलापुरा, करौली रोड हिण्डौन तहसील हिण्डौन में है। जिसकी नाप पूर्वी भुजा 45 फिट, पश्चिमी भुजा 45 फिट, उत्तरी भुजा 33 फिट व दक्षिणी भुजा 33 फिट नाप की है, जिसकी ग्राउण्ड फिलोर पर पांच कमरे, रसाई, लेट्रीन, बाथरूम व उपर जान के लिए जीना बना हुआ है एवं बीच में चौक खुला हुआ है और इसकी फर्स्ट फिलोर पर पांच कमरे पुख्ता बने हुए हैं एवं बीच में चौक खुला हुआ है, इस मकानियत की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं — पूर्व में रास्ता आम करौली रोड, पश्चिम में सम्पत्ति सावित्री आर्य वाली, उत्तर में रास्ता मकानियत के बाद मकान

विष्णु प्रधान, दक्षिण में गली के पश्चात मकान नागीन वाली है। उपरोक्त वर्णित सीमा व नाप की मकानियत विक्रेता प्रथमपक्ष की निजी मकानियत है, जिसको विक्रेता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1976 को पूर्व स्वामी व मालिक हरिबल्लभ पुत्र पण्डित श्री जगनलाल जाति ब्राह्मण भट्ट निवासी फाजलाबाद हाल निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन से से उनका 2245 वर्गफुट नाप का मकान पुख्ता मय अगवार छप्पर पौश कय किया थ जिसका विधिवत बयनामा उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन के यहाँ दिनांक 29.11.1976 को पुस्तक सं01 जिल्द सं0 47 क्रमांक 673 पृष्ठ सं0 171-172 पर पंजीबद्ध किया गया है। कय करने के पश्चात मुझ विक्रेता ने अपनी उक्त वर्णित मकानियत का निर्माण कराया है और मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के 2245 वर्गफिट नाप की मकानियत में से पूर्व की तरफ का 760 वर्गफुट नाप का भाग सडक सीमा में चले जाने के कारण अब मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के पास 1485 वर्गफिट नाप की मकानियत शेष रही है। जिसका बेचान श्रीमती रामादेवी धर्म पत्नि महेन्द्र धाकड जाति धाकड निवासी गोमती कोलोनी हिण्डौन के हक में किया गया है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2008-2011 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काशत के कॉलम में मकान बन गये हैं दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012-2013 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2014-2017 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक तथा काशत के कॉलम में आबादी दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2018-2019 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके

कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक तथा काश्त के कॉलम में आबादी दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2020-2021 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा विशेष विवरण के कॉलम में मूलचन्द कारीगर कब्जा पाटौर 05 बिस्वा पर, गोर्धनदास कब्जा पाटौर 02 बिस्वा, नथुवा कब्जा पाटौर 04 बिस्वा, हरिकिशन धाकड कब्जा पाटौर 03 बिस्वा, हरिबल्लम कब्जा बाडा 02 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2022-2025 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा सं 2024 में गै०मु० कब्रिस्तान एवं आबादी दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2026-2029 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी एवं 04 बिस्वा में बगीची दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2034-2037 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है।


फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं० 2047 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में सिवायचक एवं काश्त के कॉलम में गै०मु० आबादी दर्ज रिकार्ड है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर का दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है वाके कस्बा हिण्डौन कायम किया गया है। नकल जमाबन्दी सं० 2055-58, 2059-2062, 2063-2066, 2067-2070, 2071-74, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है० किस्म गै०मु० कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सेटिलमेन्ट से पूर्व के रिकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर कस्बा हिण्डौन तथा खातेदारी के कॉलम में सिवायचक दर्ज रिकार्ड रहा है। तहसीलदार हिण्डौन के जबावदावा एवं पत्रावली में उपलब्ध साबिक व हाल रिकार्ड के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात पर आबादी बसी हुई होना साबित है। किन्तु उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए वक्फ सम्पत्तियाँ (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड होने से उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए आबादी भूमि मानकर नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में वादीया का दावा बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती खिलाफ प्रतिवादी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण दावा बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2477 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० कवर हाल खसरा नम्बर 6007 रकबा 1.09 है वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली